उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-07/2017/2263/92-2-2017-191जॉच/2015

लखनऊ :: दिनांक:: 02जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-लालगंज में ग्राम पंचायत खरिहट कला में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 08 गलियो एवं ग्राम पंचायत-रूझौली की समस्त गलियों के निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या में पायी गयी अनियमितताओं तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संतोषजनक न पाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर के सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व उ0प्र0 सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 07/2017/2263(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0-जी-45/एस0टी0-सी0टी0ई0/2715-116/2015-16 दिनांक 08-07-2016 एवं पत्र सं0-जी-100/एस0टी0-सी0टी0ई0/2715-116/25/ 2015-16 दिनांक 23-11-2016 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर।

4- श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in